

56
18

पगावली पेश दुर्ग वकील वादी व वादी अनुपासित।
प्रतिवादी सं. 1 व वकील प्रतिवादी भी अनुपासित।
न्यायालय समय में रुक-रुक कर बार-बार
आवाज लगाई गई। किन्तु बाद आवाज लगाने
वादी व वकील वादी हाजिर नहीं आए।
पगावली अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज
की जाती है। पगावली फेल ल शुमार होकर
बाद तस्वीक वकमील होकर वाखिल कपहर हो।

मिर्जा

स्वायक कोलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बोकार

